Dr. Nirmala Rana
B.A.(Prog) IInd Year IVth Semester

Non-Alignment Movement: Origin/Growth/Reasons/Imporatnce

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में 'गुटनिरपेक्षता' (Non-Alignment) का विशेष महत्व है । गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोगमात्र नहीं था अपितु यह सुविचारित अवधारणा थी । इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की सम्भावनाओं को रोकना था ।

गुटनिरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखा जाए । आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के अधिकांश देश गुटनिरपेक्ष होने का दावा करने लगे हैं ।

जहां 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी, वहां आज निर्गुट आन्दोलन के सदस्यों की संख्या 120 हो गई है । आर्मेनिया, आजरबेजान, बोस्निया, हर्जेगोबिना, ब्राजील, चीन, कोस्टारिका, क्रोशिया, अल साल्वाडोर, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, यूक्रेन तथा उरुग्वे आदि देशों को गुट निरपेक्ष आन्दोलन में पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है ।

गुट निरपेक्ष आंदोलन (**NAM**) राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिहोंने निश्चय किया है, कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर युगोस्लाविया के राष्ट्रपति [[जोसिप बरोज़ टीटो|इंडोनेशिया - डाॅ सुक्रणों एवं घाना - क्वामें एन्क्रूमा का आरंभ किया हुआ है। इसकी स्थापना अप्रैल,1961में हुई थी। और 2012 तक इसमें 120 सदस्य हो चुके थे।

हवाना घोषणा-१९७९ के अनुसार इस संगठन का उद्देश्य गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता एवं सुरक्षा को उनके साम्राज्यवाद, कोलोनियलिज़्म, जातिवाद, रंगभेद एवं विदेशी आक्रमण, सैन्य अधिकरण, हस्तक्षेप आदि मामलों के विरुद्ध उनके युद्ध के दौरान सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में ना होकर निष्पक्ष रहना है। ये संगठन संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों की संख्या का लगभग २/३ एवं विश्व की कुल जनसंख्या के ५५% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। खासकर इसमें तृतीय विश्व यानि विकासशील देश सदस्य हैं।

गुटनिरपेक्षता: अर्थ एवं परिभाषा:

गुटनिरपेक्षता की नीति पिछले चार दशक से चल रही है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के दो-तिहाई देश इसे व्यवहार में ला रहे हैं । फिर भी यह नहीं मान सकते कि जिन-जिन लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है वे सब गुटनिरपेक्षता का सही-सही अर्थ समझते हैं ।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका एवं विश्व के अन्य उन देशों को मिलाकर किया गया, जो तत्कालीन दौर में उपनिवेशी समस्याओं से गुजर रहे थे। आंदोलन की स्थापना के शुरूआती वर्षों में इसके सदस्य देशों में से कुछ ने तो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और कुछ स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया में थे। इसका गठन करने वाले पाँच देशों के प्रमुखों में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू भी थे।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन जिन परिस्थितियों और उद्देश्य को लेकर किया गया था, अब वे कितने प्रासंगिक हैं, इसमें संदेह है। हाल ही में वेनेजुएला में हुए इस सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री के भाग न लेने की वजह भी यही रही है। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के नेतृत्व में एक दल ने सम्मेलन में भाग लिया।

इसके कई कारण हैं:

एक कारण यह है:

गुटनिरपेक्ष देशों में अब भी गुटनिरपेक्षता से सम्बन्धित शब्दावली के बारे में भरपूर भ्रान्तियां फैली हुई हैं ।

द्वितीय:

गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या में दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि के कारण गुटनिरपेक्षता के सही-सही अर्थ और अभिप्राय के प्रश्न पर खासे मतभेद पैदा हो गए हैं हालांकि ये मतभेद इस तरह के हैं कि उसके किस पक्ष को कितनी प्रमुखता दी जाए ।

तृतीय:

जहां गुटनिरपेक्षता का एक सर्वमान्य मंच है वहां प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश का अपना वैयक्तिक अथवा क्षेत्रीय मंच भी है जिसे सामान्य मंच से अलग पहचाना जा सकता है....मानो प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश एक साथ दो भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्य कर रहा हों-विश्व स्तर पर, तथा वैयक्तिक अथवा क्षेत्रीय स्तर पर ।

'गुटनिरपेक्षता' शब्द जिस नीति अथवा दृष्टिकोण का द्योतक बन गया है उसका बोध कराने के लिए यही एकमात्र: शब्द नहीं है और न यह सबसे सन्तोषजनक शब्द ही है । यह शब्द शायद जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था और वे भी इससे बहुत प्रसन्न नहीं थे क्योंकि इस शब्द में प्रकटत: एक निषेधात्मक ध्वनि है ।

गुटनिरपेक्षता को 'अप्रतिबद्धता', 'असम्पृक्तता', 'तटस्थता', 'तटस्थतावाद', 'सकारात्मक तटस्थता', 'सकारात्मक तटस्थतावाद', 'गतिशील तटस्थता', 'स्वतन्त्र और सक्रिय नीति' और 'शान्तिपूर्ण सक्रिय सह-अस्तित्व' भी कहा जाता है ।

डॉ. एम. एस. राजन के अनुसार इनमें से कुछ शब्द और शब्दबन्ध तो केवल 'अर्थजाल' के द्योतक हैं और यह जाल गुटनिरपेक्षता के ऐसे आलोचकों ने बुना है जिन्हें या तो इससे सहानुभूति नहीं रही या जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रही-भले ही कभी-भी गुटनिरपेक्ष देशों के प्रवक्ता और उनके समर्थक भी उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं ।" जॉर्ज श्वार्जनबर्गर ने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे सम्बन्धित छ: अर्थों की व्याख्या की और गुटनिरपेक्षता को इन सबसे भिन्न बताया है ।

ये छ: धारणाएं हैं:

(i) अलगाववाद,

(ii) अप्रतिबद्धता,

(iii) तटस्थता,

(iv) तटस्थीकरण,

(v) एकपक्षवाद और

(vi) असंलग्नता ।

(i) अलगाववाद (Isolationism):

अलगाववाद (Isolationism) ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम-से-कम भाग ले या उससे बिल्कुल अलग रहे ।

(ii) अप्रतिबद्धता (Non-Commitment):

अप्रतिबद्धता (Non-Commitment)का अभिप्राय है किन्हीं दो अन्य शक्तियों से समान सम्बन्ध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न होना ।

(iii) तटस्थता (Neutrality):

तटस्थता (Neutrality)एक देश की वह कानूनी एवं राजनीतिक स्थिति है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती ।

(iv) तटस्थीकरण (Neutralisation):

तटस्थीकरण (Neutralisation)अर्थात् देश हमेशा के लिए तटस्थ है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी नहीं छोड़ सकता है । स्विट्जरलैण्ड इसी स्वरूप के राज्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ।

(v) एकपक्षवाद (Unilateralism):

एकपक्षवाद (Unilateralism)इस सिद्धान्त का हामी है कि प्रत्येक देश को नि:शस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और ऐसा करने में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं या नहीं ।

(vi) असंलग्नता (Non-Involvement):

असंलग्नता (Non-Involvement) विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती है और यह बताती है कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए ।

जॉर्ज श्वार्जनबर्गर के अभिमत में गुटनिरपेक्षता उपर्युक्त सभी धारणाओं से भिन्न है । वस्तुत यह मैत्री सन्धियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है । गुटनिरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, विशेषत: दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवृत्तियों के सन्दर्भ में, नीति और कार्यवाही की पर्याप्त स्वतन्त्रता बनाए रखी जाए ।

गुटनिरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक् रहना तथा सभी राज्यों के साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हों या गुटनिरपेक्ष हों । शीत-युद्ध से पृथक्करण ही गुटनिरपेक्षता का सार तत्व है ।

यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अन्तर्गत स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है ।

सन् 1961 में गुटनिरपेक्षता के तीन कर्णधारों-नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके पांच आधार स्वीकार किए थे:

(i) सदस्य देश स्वतन्त्र नीति पर चलता हो;
(ii) सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो;
(iii) सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो;
(iv) सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो; या
(v) सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो ।
अर्थात् वे ही देश गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतन्त्र विदेश नीति का पालन करते हों राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन का समर्थन करते हों, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य न हों । दूसरे शब्दों में- एक-दूसरे के विरोधी शक्ति शिविरों से दूर (अलग) रहने वाले युद्ध की विभीषिका को टालने वाले तनाव को कम करने वाले और शान्ति समर्थक देश ही गुटनिरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं ।
संक्षेप में, गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय है अपनी स्वतन्त्र रीति-नीति । गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य अनौचित्य को देखा जा सकता है । किसी एक गुट के साथ सम्बद्ध होकर उचित-अनुचित का विचार किए बिना ही अन्धानुकरण या समर्थन करना गुटनिरपेक्षता नहीं है ।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन: सदस्यता की शर्तें:

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य बनने के लिए पांच मानदण्ड निर्धारित किए गए थे । ये मानदण्ड जून, 1961 में काहिरा में 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय किए गए थे । बैठक में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए जाने के कारण मानदण्डों के सम्बन्ध में काफी समझौता करना पडा और अन्तत: इन मानदण्डों के आधार पर बेलग्रेड सम्मेलन के लिए निमन्त्रण भेजने के बारे में निर्णय करने का काम उन देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंप दिया गया जिन्होंने काहिरा में तैयारी बैठक में भाग लिया था ।
इन मानदण्डों के अनुसार किसी भी गुटनिरपेक्ष देश के लिए 'स्वाधीन नीति' का अनुसरण करना जरूरी नहीं है । यदि वह इस प्रकार की नीति के पक्ष में अपना रवैया जाहिर कर सके तो उतना ही काफी है । इसे निरन्तर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आन्दोलनों का समर्थन प्रदान करना चाहिए ।
किस हद तक और किस रूप में यह समर्थन हो इसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया है । तीसरा मानदण्ड सैनिक गठबन्धनों की सदस्यता से सम्बन्धित है अर्थात् गुटनिरपेक्ष समझे जाने के लिए देश को बहुपक्षीय सैनिक गठबन्धन का सदस्य नहीं होना चाहिए ।
चौथा और पांचवां मानदण्ड यह है कि यदि किसी देश या किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता है अथवा वह देश क्षेत्रीय सुरक्षा सन्धि का सदस्य है तो यह समझौता या सन्धि 'जान-बूझकर बड़ी शक्तियों के सन्दर्भ में नहीं होनी चाहिए ।'
इस हिसाब से मिस्र, इराक और सीरिया ने किसी समय सैनिक सहायता के सिलसिले में या तो सोवियत संघ से या अमरीका के साथ समझौता किया था । साइप्रस, इथियोपिया, लीबिया, माल्टा, मोरक्को और सऊदी अरब ने किसी समय (अब भी) अपनी भूमि पर पश्चिमी सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति दी थी । आज तक गुटनिरपेक्षता की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं की गयी है ।
फलस्वरूप, हर शिखर सम्मेलन में नए सदस्यों को शामिल करने और कुछ पुराने सदस्यों के बने रहने पर ही हल्ला मचा रहता है । सम्मेलन के प्रमुख देश विभिन्न प्रकार के दबावों में होते हैं और वे दूरगामी प्रभावों की चिन्ता किए बगैर तदर्थ निर्णय लिया करते हैं । कुल मिलाकर सामान्य मानदण्ड यही रह गया था कि सदस्य बनने के लिए इच्छुक देश सोवियत अथवा अमरीकी गुट का सदस्य नहीं होना चाहिए ।
इस सम्बन्ध में डॉ. वेदप्रताप वैदिक लिखते हैं, इस आन्दोलन के सामने सबसे बडी समस्या तो यह है कि उसके पास अपने नाम की परिभाषा नहीं है । यह रोचक तथ्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस आन्दोलन को चलते-चलते पांच दशक बीत गए लेकिन अभी तक कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि गुटनिरपेक्षता की सर्वसम्मत 'परिभाषा' यह है ।
गुटनिरपेक्षता की परिभाषा करते समय हम लोग या तो नेहरू के बयानों और भाषणों के कुछ सटीक टुकडों को उद्धृत कर देते हैं या यही काम जब यूगोस्लाव विद्वानों को करना होता है, तो वे मार्शल टीटी की उक्तियों का सहारा ले लेते हैं । नेहरू, नासिर या टीटो के बयानों से गुटनिरपेक्षता के विभिन्न आयाम तो अवश्य निर्धारित होते हैं लेकिन समग्र रूप में उसका निरूपण नहीं होता । गुटनिरपेक्षता की परिभाषा को कुछ राष्ट्र गोलमाल क्यों रखना चाहते हैं ?
इसलिए कि इस आन्दोलन में बिना किसी रुकावट के हर तरह के राष्ट्रों को घुसेड़ लिया जाए । इसमें वे राष्ट्र भी आ जाएं जिन्होंने अपनी-अपनी जमीन पर महाशक्तियों को सैनिक अड्डे बनाने दिए हैं; वे राष्ट्र भी आ जाएं जो सैनिक गठबन्धनों के सदस्य रहे हैं; वे राष्ट्र भी आ जाएं जिन्होंने महाशक्तियों के साथ सैनिक समझौते कर रखे हैं; वे राष्ट्र भी आ जाएं जो शस्त्रों की अन्धाधुन्ध दौड में निरत हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता को गिरवीं रख रखा है । दूसरे शब्दों में, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को परिभाषाविहीन बनाकर चरित्रहीन करने की व्यूह-रचना बहुत हद तक सफल भी हो रही है ।

गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक:

कोई देश अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में गुटनिरपेक्षता क्यों अपनाता है ।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् गुटनिरपेक्षता के अभ्युदय के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं:

(1) शीत-युद्ध:

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् अमरीका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गम्भीर मतभेद प्रकट हुए । दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेदों की इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी कि वे परस्पर एक-दूसरे के विरुद्ध कटु वाग्बाणों और आरोपों की वर्षा करने लगे । यह कहना उचित होगा कि बारूद के गोले व गोलियों से लड़े जाने वाले सशस्त्र सैनिक संघर्ष के न होते हुए भी कागज के गोलों और अखबारों से बड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी संग्राम को शीत-युद्ध की संज्ञा दी जाती है । शीत-युद्ध के इस वातावरण में नवस्वतन्त्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक् रहने का निर्णय किया । शीत-युद्ध से पृथक् रहने की नीति ही आगे चलकर गुटनिरपेक्षता के नाम से जानी जाने लगी ।

(2) मनोवैज्ञानिक विवशता:

नवोदित राष्ट्रों के गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा प्रमुख कारण एक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक विवशता थी वह यह कि वे केवल औपचारिक अर्थ में स्वतन्त्र न हों बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व या प्रभाव के अवशेषों से एकदम मुक्त प्रतीत भी हों ।

उन्होंने महसूस किया कि वे गुटनिरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके और जब भी किसी विशिष्ट प्रश्न या स्थिति के सन्दर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कार्यवाही करनी पड जाए वहीं वे नीति और कार्यवाही की स्वतन्त्रता को व्यावहारिक रूप से और दृढतापूर्वक स्थापित करके ही अपनी स्वतन्त्रता सबसे अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं ।

उन्हें लगा कि इस दृष्टिकोण और भूमिका के कारण उन्हें वैयक्तिक तथा सामूहिक स्तर पर ऐसी स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गयी है जो बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व से व्याप्त राष्ट्र समाज में छोटे देशों को दूसरे विश्व-युद्ध से पहले कभी प्राप्त नहीं हुई थी ।

(3) हाइक गुटों से पृथक रहना:

सन् 1945 के पश्चात् ही संसार में दो गुटों का उदय हो चुका था और सन् 1945-50 की कालावधि में एशिया-अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतन्त्र हुए थे । ये सभी शोषित और गरीब देश थे और संभलने के लिए समय चाहते थे । किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते कि इन्हें समस्याएं सुलझाने का पूर्ण अवसर न मिल पाता और ये सदैव के लिए दबकर रह जाते ।

(4) अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा:

नवोदित राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गुटनिरपेक्षता उनके लिए, विशेषत: दोनों गुटों के वैचारिक संघर्ष के सन्दर्भ में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने का साधन थी । वे अपनी राजनीतिक आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक् स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे और यह नहीं चाहते थे कि राष्ट्रों के किसी बड़े समूह में-जहां किसी-न-किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलबाला हो-उनकी अपनी कोई पहचान ही न रह जाए ।

उन्होंने अनुभव किया कि वे दूसरे राष्ट्रों की 'छाया मात्र' नहीं बन सकते चाहे वे राष्ट्र कितने ही उन्नत क्यों न हों । राष्ट्रपति सुकर्ण ने कहा था- "न तो हम छाया राष्ट्र हैं न पाठय-पुस्तकीय विचारक हैं ।" भारत के प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा था- "हमारा स्वर किसी और स्वर की प्रतिध्वनि नहीं है । यह उन लोगों की असली आवाज है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं ओर जिनकी ओर से हम बोलते हैं ।"

नवोदित राष्ट्रों का विश्वास था कि राष्ट्रों के बड़े समूह में अपने राष्ट्रीय स्वरूप को लुप्त होने देना अब भी न तो उनके लिए वांछनीय था, न व्यावहारिक हालांकि वे यह भी मानते थे कि सभी राष्ट्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं और विश्व की वर्तमान व्यवस्था में सुधार होना आवश्यक है ।

उन्होंने पश्चिमी देशों के शासन में एक लम्बे अरसे तक बहुत कुछ सहा था इसलिए वे अपने समाज को पश्चिम के नमूने पर पुनर्गठित करने और सुधारने के विरुद्ध थे । वैसे बहुत से राजनीतिक मूल्यों और विश्वासों के सन्दर्भ में वे पश्चिम के साथ भी थे ।

वे साम्यवादी व्यवस्था का अनुसरण करने की बात भी नहीं सोच सकते थे । यों मार्क्सवादी सिद्धान्तों में उन्हें काफी आकर्षण दिखाई देता था पर फिर भी वे यह अनुभव करते थे कि साम्यवादी विचारधारा और व्यवहार पद्धति उनके अपने दृष्टिकोण और जीवन-पद्धति से मेल नहीं खाती ।

(5) स्वतन्त्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा:

नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतन्त्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे । गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बडी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं हैं और न ही दूसरों के संकेत पर नाचने के लिए बाध्य हैं ।

(6) आर्थिक कारक:

गुटनिरपेक्षता का एक अन्य आधार आर्थिक है । प्राय: सभी गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे (और अब भी हैं) और रहन-सहन का स्तर नीचा है । अत: उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय सम्भवत: त्वरित आर्थिक विकास को बढावा देना था परन्तु इसके लिए न तो इनके पास पूंजी थी न तकनीकी कौशल था ।

अत: उन्होंने अपनी वैदेशिक अर्थनीतियों को ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें जो चीजें 'कोई शर्त रखे बगैर' जहां से भी मिल सकती हों मिल जाएं क्योंकि उन्हें इनकी सख्त जरूरत थी । यहां भी उन्हें किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा । उन्हें साफ लगा कि अगर वे किसी एक गुट में शामिल हो गए तो उन्हें एक से अधिक स्रोतों से सहायता मांगने की अपेक्षित स्वतन्त्रता से वंचित होना पड़ेगा ।

Relevance of Non-Alignment in Tdoay's World

आंदोलन वास्तव में कितना प्रासंगिक है?

गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करना था। इसलिये सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगने लगा और देशों का इस समूह के प्रति आकर्षण कम होने लगा।

विदित है कि इस आंदोलन का उद्देश्य देशों के हितों की रक्षा करना था हम भूलवश इसको केवल शीत युद्ध से जोड़ देते हैं। इसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी क्योंकि वैश्विक परिदृश्य पर राजनीतिक परिस्थितियाँ और मुद्दे बदलते रहते हैं।

सैद्धांतिक रूप से यह आंदोलन अप्रासंगिक प्रतीत होता है लेकिन निम्नलिखित मुद्दों के साथ इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है-

जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न देशों के मध्य विवाद।

विश्व में गुटबाज़ी की वजह से कई क्षेत्रों में संघर्ष जैसे- मध्य पूर्व खाड़ी देश अफगानिस्तान।

शरणार्थी समस्या (रोहिंग्या और मध्य-पूर्व)।

एशिया- प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु टकराव की स्थिति।

आतंकवाद का मुद्दा।

नव साम्राज्यवाद के तहत राजनीतिक कूटनीति।

ऋण जाल (Debt Trap) की राजनीति।

साइबर हमले और अंतरिक्ष के प्रयोग की अंधाधुंध प्रतिस्पर्द्धा।

ऐसा माना जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री भारत को विकास और सुरक्षा के जिस मार्ग पर ले जाना चाह रहे हैं, उसके लिए अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता नहीं है।

एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन ही असमान देशों को लेकर किया गया था। इसलिए इन देशों को आपस में जोड़ने वाले तत्वों का अभाव है।

गुट निरपेक्ष देशों ने भारत के कठिन समय में कभी उसका साथ नहीं दिया। चाहे वह 1962 का चीनी आक्रमण हो या 2002 का मुंबई आतंकी हमला। फिर भी कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष देश किसी देश के साथ किसी विशेष अवसर पर भले ही खड़े न हुए हों, लेकिन विश्व-स्तर पर उनके मुद्दे एक ही रहे हैं। इस संगठन के अन्य देशों की समस्याओं से भारत ने भी अपने का अलग ही रखा है।

गुट निरपेक्ष आंदोलन के पास ऐसी कोई विशेष विचारधारा नहीं है, जिससे चिपके रहने की आवश्यकता महसूस हो। इसका गठन उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरोध में किया गया था। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी आम सहमति थी। बाद में भारत ने ही परमाणु अप्रसार संधि से अलग होकर इस परंपरा को तोड़ा।

सिंगापुर से लेकर क्यूबा तक के विभिन्न परिवेश के देशों का सदस्य होना इस संगठन की खूबसूरती है। लेकिन मिस्र के इस्राइयल के तथा भारत के सोवियत संघ के साथ हुए समझौते बहुत सफल नहीं रहे।

यह सच है कि अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की निरर्थकता के बारे में बहुत से तर्क दिए जा सकते हैं और दिए भी जा रहे हैं, परंतु कुछ बिंदु ऐसे हैं, जिन पर विचार करके लगता है कि इसकी सदस्यता बेमानी भी नहीं है।

गुट निरपेक्ष संगठन का भारत के लिए महत्व

पहली बात तो यह कि गुट निरपेक्ष संगठन किसी देश के व्यक्तिगत उत्थान में कोई अड़चन पैदा नहीं करता। इसके सदस्य देश अपने विकास के लिए निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं।

दूसरे, पाकिस्तान के साथ बदले रिश्तों को देखते हुए भले ही कोई गुट निरपेक्ष देश उसे अलग-थलग करने को सहमत न हो, परंतु आतंकवाद विरोधी हमारी मनोभावना के प्रदर्शन के लिए यह संगठन एक अच्छा मंच सिद्ध हो सकता है।

भारत अब संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का इच्छुक है। गुट निरपेक्ष देशों का समर्थन निश्चित रूप से उसकी इस मांग को वजनदार बनाता है।

भारत जिस प्रकार की विदेश नीति को अपना रहा है, उसको देखते हुए गुट निरपेक्ष संगठन का आज भी महत्व है। गुट निरपेक्ष संगठन तो हमारे ही वृहद विश्व के सपने का हिस्सा है। हो सकता है कि आज की विदेशी नीति की व्यस्तता को देखते हुए भले जी इस संगठन की सदस्यता हमें अथपूर्ण न लगे, परंतु इस परिवर्तनशील दौर में विश्व समुदाय को साथ लेकर चलना ही दूरदर्शिता है।